Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Karauli.

*****

No: F.8(5)(5) Misc./Rev./2023/ 4822 Dated : 31-03-2023

To WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05.02.2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8-5635 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (user agency) for construction CONSTRUCTION OF WIDENING, STRENGTHENING ON KARANPUR-MANDRAYAL-OND-CHANDELIPURA ROAD (MDR-3A) FROM KARANPUR MDR-3A KM STRONE NO-00.00 TO MDR-3A STONE NO-34.00. Proposed for diversion of forest land in Karauli district falls within jurisdiction Ghari Ka Gonv, Karai, Toda, Simara, Kased and Arora villages in Mandrayal tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8-5635 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2 to annexure 4.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

<u>Encls.</u>: As above

(ANKIT KUMAR SINGH)
District Collector
Karauli (Raj.)

01/4 Dated : 31-03-2023

No: F.8(5)(5) Misc./Rev./2023/ 4823-24

Copy forward to-

1. D.C.F. Karauli & RTR (Buffer) Karauli Wildlife.
2. Executive Engineer (P.W.D.) Sapotra.

District Collector Karauli

01/4

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, सपोटरा की दिनांक 07.02.23 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण – कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

आज दिनांक 07.02.2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अनु. 12 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सपोटरा की वैठक उपखण्ड अधिकारी सपोटरा की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। बैठक मे उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सपोटरा के निम्न सदस्य अधिकारी एंव मान जनप्रतिनिधिगत उपस्थित हुए–

कंस	नाम जनप्रतिनिधि / सदस्य / अधिकारी	पद नाम
1.	राजकेश मीना, उपखंड अधिकारी	उपखंड अधिकारी, सपोटरा
2.	धनीराज बैरवा D.Ro सपोटरा	D.Ro. सपोटरा
3.	सुरेन्द्र सिंह मीना	BDO P.S. सपोटरा
4.	हेमराज मीना	पं.स. सदस्य
5.		
6.		

नोट– उपस्थिति विवरण पत्रक सलग्न है।

बैठक मे निम्न बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिए गये–

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड सपोटरा द्वारा तहसील सपोटरा पंचायत समिति मण्डरायल की करणपुर–रोधई–मण्डरायल–चंदेलीपुरा रोड MDR-3A का चौडाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण सडक निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत करणपुर के ग्राम गढी का गांव, ग्राम पंचायत टोडा के ग्राम टोडा, करई व सिमारा एवं ग्राम पंचायत कसेड के ग्राम कसेड व अरोरा में सडक के निर्माण एंव विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत मे वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्वरो की आ रही भूमि के संबध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर वैठक मे उक्त सडक निर्माण मे आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने बावत विचार विमर्श किया गया–

क्र.स	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्वर	रकवा हैक्टेयर	किस्म
1.	गढ़ी का गांव	सपोटरा	1110/31	0.5940	गै.मु. पहाड
2.	करई	सपोटरा	230, 888/658, 847/2	0.8550	गै.मु. पहाड, गै.मु. नदी, गै.मु. नाला
3.	टोडा	सपोटरा	132, 133, 134, 135, 136, 139, 136/1, 137, 139/5, 291/6	1.7205	बेहड, बंजड, सडक सा.नि. वि.
4.	सिमारा	सपोटरा	513/6	2.1090	वन विभाग
5.	कसेड	सपोटरा	1211/12	1.2720	बेहड,
6.	अरोरा	सपोटरा	95/15, 95/1, 1054/818	2.0130	पहाड, शमशान
			कुल	8.5635	

ग्राम गढी का गांव, करई, टोडा, सिमारा, कसेड व अरोरा में सडक निर्माण मे वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्वरो की 8.5635 हैक्टेयर वन भूमि से संबधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रकियाधीन दावा एंव आपत्तियो के संबध मे बैठक मे उपस्थित सदस्य विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डरायल द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वन भूमि का कोई भी दावा आपत्ति एंव आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रकियाधीन/लम्बित नही है।

ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत करणपुर, टोडा व कसेड की क्रमशः दिनांक- व को आयोजित ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या क्रमश 4 एंव 2 के अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति स्तर पर भी उक्त सडक निर्माण मे आ रही वन भूमि से संबधित कोई दावा आपत्ति एंव आवेदन पत्र प्रकियाधीन व लम्बित नही होने से प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने की गई अभिशषा बैठक मे विचार विमर्श किया गया।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सपोटरा के स्तर पर भी उक्त वन भूमि सें संबधित कोई दावा / आपत्ति/ आवेदन पत्र प्रकियाधीन एंव लम्वित नही है।

इस प्रकार ग्राम गढी का गांव, करई, टोडा, सिमारा, कसेड व अरोरा में सडक निर्माण मे वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्वरो की वन भूमि से संबधित कोई दावा आपत्ति एंव आवेदन पत्र प्रकियाधीन अथवा लम्वित नही होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत सपोटरा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य लोक हित मे सार्वजनिक प्रयोजन की द्वष्टि से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी

सदस्यो द्वारा सहमति प्रकट कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिय गया ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

7/2/23
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला-करौली
(राजकला मीणा, उपखंड अधिकारी)

U.R.O सपोटरा

07/02/23
BDO P.S सपोटरा

हंसराज मीणा
प. समिति सदस्य वार्ड 07

कार्यालय ग्राम पंचायत कसेड पंचायत समिति मण्डरायल जिला करौली

ग्राम सभा का सहमति

प्रमाणित किया जाता है-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा द्वारा CRF योजनान्तर्गत करणपुर-रोधई-मण्डरायल-चंदेलीपुरा रोड MDR-3A का चौडाइकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण सडक निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत कसेड के ग्राम कसेड व अरोरा में सडक का निर्माण एंव विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पचायत क्षेत्र के ग्राम करोड व अरोरा में वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव वन सरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्षा विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियो हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एव उस पर चार्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02/02/23 को की गई जिसमे ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमणित करती है कि प्रत्यावर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति औरर अन्य परपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओ/प्रकियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा मे प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि मे प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है अतः ग्राम सभा एतद्र द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः- ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक 03/02/2023

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत कसेड पंचायत समिति मण्डरायल की दिनांक को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण स्थान ....कसेड..

2-2-2023

आज दिनांक को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत कसेड की बैठक माननीय सरपंच ग्राम पंचायत कसेड की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। बैठक मे ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति कसेड व अरोरा के निम्न सदस्य अधिकारी एंव माननीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित हुए–

कंस	नाम जनप्रतिनिधि / सदस्य / अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षरे
1	श्रीमती चरनबाई मीना	सरपंच	चरनबाई
2.	श्री- विजेन्द्र कुमार शर्मा	VDO.	[signature]
3.	श्री आशाराम प्रजापत	पटवारी	
4.	श्रीमती काली बाई जाटव	वार्ड पंच	
5.	श्री. रामस्वरूप मीना	समाज सेवी	[signature]

चरनबाई मीना सरपंच ग्राम पंचायत ... पं०स० मण्डरायल जिला-करौली

ग्राम विकास अधिकारी पं०स० मण्डरायल जिला-करौली

बैठक मे निम्न बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिए गये–

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड सपोटरा द्वारा तहसील सपोटरा पंचायत समिति मण्डरायल की करणपुर–रोधई–मण्डरायल–चंदेलीपुरा रोड MDR-3A का चौडाइकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण सडक निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत कसेड के ग्राम कसेड व अरोरा सडक निर्माण मे वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्वरो की आ रही भूमि के संबध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमतित / एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर बैठक मे उक्त सडक निर्माण मे आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गया।

क्रंस	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्वर	रकवा हैक्टेयर	किस्म
1.	कसेड	सपोटरा	1211/12	1.2720	बेहड,
2.	अरोरा	सपोटरा	95/15, 95/1, 1054/818	2.0130	पहाड, शमशान
			कुल	3.2850	

ग्राम कसेड व अरोरा सडक निर्माण मे वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरो की 3.2850 हैक्टेयर वन भूमि से संबधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कसेड स्तरीय वनाधिकार समिति कसेड के स्तर पर किसी भी का दावा/आवेदन पत्र प्रकियाधीन अथवा लम्वित नही है। बैठक मे उपस्थित सदस्य सचिव ग्राम पंचायत कसेड पंचायत समिति मण्डरायल द्वारा अवगत कराया कि उक्त वन भूमि का कोई भी दावा आपत्ति व आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रकियाधीन /लम्वित नही है।

इस प्रकार ग्राम कसेड व अरोरा में सडक निर्माण मे वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्वरो की वन भूमि से संबधित कोई दावा आपत्ति एंव आवेदन पत्र प्रकियाधीन अथवा लम्वित नही होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति कसेड द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य लोकहित मे सार्वजनिक प्रयोजन की द्वष्टि से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यो द्वारा सहमति प्रकट कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सपोटरा को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

कमांक 173-79 दिनांक 3-2-2023

प्रतिलिपि– निम्नाकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय मण्डरायल।
9. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ताः सा.नि.वि खण्ड सपोटरा।
10. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डरायल।
11. श्रीमान तहसीलदार तहसील सपोटरा।
12. श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय सपोटरा।
13. संरपच ग्राम पचायत कसेड
14. ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति कसेड के माननीय सदस्य श्री

कार्यालय ग्राम पंचायत टोडा पंचायत समिति मण्डरायल जिला करौली
ग्राम सभा का सहमति

प्रमाणित किया जाता है–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा द्वारा CRF योजनातर्गत करणपुर–रोधई–मण्डरायल–चंदेलीपुरा रोड MDR-3A का चौडाइकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण सडक निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत टोडा के ग्राम करई टोडा व सिमारा में सडक का निर्माण एंव विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पचायत क्षेत्र के ग्राम करई, टोडा व सिमारा में वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव वन सरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियो हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एव उस पर चार्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 01/02/23 को की गई जिसमे ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमणित करती है कि प्रत्यावर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति औरर अन्य परपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओ/प्रकियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा मे प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि मे प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है अतः ग्राम सभा एतद्र द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

   संलग्नः– ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनाक 02/02/23

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत टोडा पंचायत समिति मण्डरायल की दिनांक 01/[illegible]/23 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण स्थान ....[illegible] टोडा

....

आज दिनांक 04/[illegible]/23 को पूर्व निर्धारित कार्यकमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पचायत टोडा की बैठक माननीय सरपंच ग्राम पंचायत टोडा की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। बैठक मे ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति टोडा के निम्न सदस्य अधिकारी एंव माननीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित हुए–

कंस	नाम जनप्रतिनिधि / सदस्य / अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षरे
[illegible]	श्रीमति [illegible] मीना	सरपंच	[illegible] मीना
2	अशोक कुमार	V.D.O	[illegible]
3	श्री अशोक शर्मा	उपसरपंच	अशोक शर्मा
4	श्री मनोज मीना	पटवारी	
5	सुशीला देवी	वार्ड पंच	सुशीला
6	रामस्वरूप सैन	"	रामस्वरूप
7	ममता	"	ममता
8	रामगोपाल मीना	सहयोगी	रामगोपाल

बैठक मे निम्न विन्दुओ पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिए गये–

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड सपोटरा द्वारा तहसील सपोटरा पंचायत समिति मण्डरायल की करणपुर–रोधई–मण्डरायल–चंदेलीपुरा रोड MDR-3A का चौडाइकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण सडक निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पचायत टोडा के ग्राम टोडा, करई व सिमारा सडक निर्माण मे वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्बरो की आ रही भूमि के सबध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमतित / एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर बैठक मे उक्त सडक निर्माण मे आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गया।

क्रंस	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
1.	करई	सपोटरा	230, 888/658, 847/2	0.8550	गै.मु. पहाड, गै.मु. नदी, गै.मु. नाला
2.	टोडा	सपोटरा	132, 133, 134, 135, 136, 139, 136/1, 137, 139/5, 291/6	1.7205	बेहड, बंजड, सडक सा.नि.वि.
3.	सिमारा	सपोटरा	513/6	2.1090	वन विभाग
			कुल	4.6845	

ग्राम करई, टोडा व सिमारा सडक निर्माण मे वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरो की 4.6845 हैक्टेयर वन भूमि से संबधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टोडा स्तरीय वनाधिकार समिति टोडा के स्तर पर किसी भी का दावा/आवेदन पत्र प्रकियाधीन अथवा लम्बित नही है। बैठक मे उपस्थित सदस्य सचिव ग्राम पंचायत टोडा पचायत समिति मण्डरायल द्वारा अवगत कराया कि उक्त वन भूमि का कोई भी दावा आपत्ति व आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रकियाधीन /लम्बित नही है।

इस प्रकार ग्राम करई, टोडा व सिमारा में सडक निर्माण मे वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरो की वन भूमि से संबधित कोई दावा आपत्ति एंव आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवा लम्बित नही होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु 2 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3 (2) एव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति टोडा द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य लोकहित मे सार्वजनिक प्रयोजन की द्वष्टि से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यो द्वारा सहमति प्रकट कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सपोटरा को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

क्रमांक /102 – 08 दिनांक 02/02/23

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सपोटरा।
2.श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड सपोटरा।
3.श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डरायल।
4.श्रीमान तहसीलदार तहसील सपोटरा।
5.श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय सपोटरा।
6.संरपच ग्राम पचायत टोडा।
7. ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति टोडा के माननीय सदस्य श्री